अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

इस्मा पुत्र रामा (मृ.) बनाम राजस्थान सरकार
जरिये विधिक वारिसान
किस्म मुकदमा प्रा०पत्र नम्बर 44 सन 2021)

मो. इकबाल

24-01-22

पदमा (मृ) श्रीमती आपू बनाम राज0सरकार वगैरह

यह प्रार्थना पत्र श्री मौहम्मद इकबाल ने न्यायालय हाजा के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2020 किये जाने से माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु (इजराय) अन्तर्गत आदेश 21नियम 11 जा. दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। बाद अवलोकन न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 295/2015 (2015/00161) माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा पत्रांक: टीए/अपील डिक्री/2021/200/अजमेर/आगामी पेशी दिनांक 23.03. 2022 के द्वारा रिकार्ड मंगवाने जाने पर माननीय मण्डल को इस न्यायालय के पत्रांक:1905 दिनांक 28.10.2021 द्वारा मण्डल को भिजवायी जा चुकी हैं, इसलिए न्यायालय के निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु तहसीलदार, अजमेर को निर्देशित नहीं किया जा सकता है। माननीय मण्डल के द्वारा पत्रावली तलब किये जाने से यह उक्त प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, मण्डल द्वारा जो भी आदेश पारित किये जायेगें उसी के तहत् कार्यवाही संभव होगी। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर